



उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला-नैनीताल

संख्या : 974/01-1/2020

दिनांक: 23.06.2021

आदेश


कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में **आन्तरिक शिकायत समिति** का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- | | |
|--|------------------|
| I. श्रीमती अनीता आर्या, संयुक्त निदेशक (लेखा) | -पीठासीन अधिकारी |
| II. श्री संदीप कुमार, संयुक्त निदेशक | -सदस्य। |
| III. श्री भूपेन्द्र सिंह शाह, सहायक निदेशक | -सदस्य। |
| IV. श्रीमती कंचन भण्डारी, विमर्श संस्था-एन.जी.ओ. | -सदस्य। |

उपरोक्त **आन्तरिक शिकायत समिति** उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की जाँच, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करेगी और कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए, कार्य हेतु उपयुक्त व सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करेगी।

यह समिति निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी को उक्त के परिपेक्ष्य में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।


उक्त गठित समिति 03 वर्ष अथवा अग्रिम आदेश तक कार्य करेगी।


(नितिन शर्मा) 23.6.2021
निदेशक

संख्या : 974 / 01-1/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त निदेशक (लेखा)/संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी।
2. श्रीमती कंचन भण्डारी, विमर्श संस्था, एन.जी.ओ. लेक व्यू कॉटेज, नैनीताल को जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र संख्या 138/20 न्या.सहा/2021 दिनांक 19.06.2021 के अनुक्रम में प्रेषित।


(नितिन शर्मा)
निदेशक